क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1102/NGT-212/OA-70/2024 दिनांक 09/08/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Reply/Response on behalf of UPPCB, in compliance of Hon'ble NGT order passed on 05.07.2024 in the matter of Deepak Joshi vs State of Uttar Pradesh in OA No. 70/2024.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 05.07.2024 Deepak Joshi vs State of Uttar Pradesh in OA No-70/2024, Reply/Response report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: As above.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 70 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Deepak Joshi ...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh ...Respondent(s)

Reply/Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance to order passed on 05.07.2024 by Hon'ble National Green Tribunal, Delhi in OA No. 70/2024 in the matter of Deepak Joshi Versus State of Uttar Pradesh.

1- That, Hon'ble National Green Tribunal, Delhi vide order dated 05.07.2024 has directed following:-

".......6. Let a proper reply be filed by respondents 2 and 3 specifically stating as to in what manner, solid/municipal generated on and after 10.03.2016 has been dealt with and give details thereof. UPPCB shall also inform as on what basis quantum of environmental compensation has been proposed at the rate of Rs. Ten Thousand per day and whether final order has been passed or not......."

2- That, in compliance of Hon'ble NGT order, UPPCB has issued a letter to Nagar Pallika Parishad, Khoda Makanpur, Ghaziabad on 19.07.2024 for providing informations regarding generation of municipal solid waste, as well as handling, processing and disposal of the waste after the constitution of Nagar Pallika Parishad i.e.10.03.2016, which are still awaited. Copy of

the said letter is attached as **Annexure-I.**

3- That, as per record provided by Nagar Pallika Parishad fresh municipal solid waste is generated 105.17 MT/day approximately.

4- That, UPPCB had issued show cause notice to Nagar Pallika Parishad, Khoda Makanpur, Ghaziabad on 02-07-2024 for the imposition of environmental compensation at the rate of Rs.10000/ per day, which was marked by mistake. Further as per Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund issued by CPCB, an Environmental Compensation of Rs. 91,25,000/- for the period of 05 years has been imposed by UPPCB on 30.07.2024 on the basis of max. value of environmental externality recommended by committee Rs. 0.05 Lakh per day upto 200 TPD municipal solid waste management capacity Gap. Vide letter dated 30.07.2024 (Having details pertaining to Environmental Compensation imposed). The copy of said letter dated 30.07.2024 is attached as **Annexure-II.**

The above report is being submitted for kind perusal.

(Navneet Kumar Pandey)
A.E.E.
UPPCB, Ghaziabad.

2-

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website-, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 848/NGT/OA No 70/2024/2024 दिनांक 19/07/2024.

सेवा मे,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 70/2024 दीपक जौशी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 70/2024 दीपक जौशी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मे पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 द्वारा पारित आदेश के पैरा–6 के मुख्य अंश निम्नवत है:–

"..........6. Let a proper reply be filed by respondents 2 and 3 specifically stating as to in what manner, solid/municipal generated on and after 10.03.2016 has been dealt with and give details thereof. UPPCB shall also inform as on what basis quantum of environmental compensation has been proposed at the rate of Rs. Ten Thousand per day and whether final order has been passed or not......."

अतः आपसे अनुरोध है कि नगर निकाय क्षेत्र से दिनांक 10.03.2016 के उपरान्त जनित कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा, हथालन, प्रोसेसिंग एवं निस्तारण आदि का पूर्ण विवरण अभिलेखो/साक्ष्यों सहित प्रेषित करने का कष्ट करे, जिससे कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन मे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अग्रेतर संदर्भित प्रकरण मे सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनांक 13.08.2024 को नियत है।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H 15041 /C-1/सामान्य–772/पर्या०क्षति०/2024 **Date:** 30.07.2024

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स नगर पालिका परिषद,
खोड़ा मकनपुर,
गाजियाबाद।

विषयः–इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 70/2024 दीपक जोशी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेशो के कम मे बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–13514/सी–1/ई०पी०एक्ट/सा०–772/का०ब०निर्देश/2024 दिनांक 08.07.2024 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका प्रति उत्तर नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के ई–मेल दिनांक 23.07.2024 के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय मे प्राप्त किया गया है। उपरोक्त स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद द्वारा जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के डम्पिंग हेतु नोएडा प्राधिकरण की भूमि पर डम्पिंग ग्राउड स्थापित किया गया है, जो कि आवासीय क्षेत्र खोडा की आबादी के निकट स्थित है। उक्त डम्पिंग ग्राउड चारो तरफ से खुला हुआ है एवं बाउण्ड्री वाल भी निर्मित नही है। निरीक्षण के समय पाया गया कि नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद द्वारा नगरीय क्षेत्र से जनित ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुरूप संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्पादन की कोई व्यवस्था स्थापित नही है तथा नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुरूप जनित ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्पादन नही किया जा रहा है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी Report of the CPCB In-house Committee on Methodology for Assessing Environmental Compensation and Action Plan to Utilize the Fund के अनुसार Environmental externality for improper municipal solid waste management के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निम्नवत प्राविधानित हैः–

Municipal Solid Waste Management Capacity Gap (TPD)	Marginal Cost of Environmental Externality (Rs. per ton per day)	Minimum and Maximum value of Environmental Externality recommended by the Committee (Lacs Rs. Per Day)
Up to 200	15	Min. 0.01, Max. 0.05
201-500	30	Min. 0.10, Max. 0.15
501-1000	35	Min. 0.25, Max. 0.35
1001-2000	40	Min. 0.50, Max. 0.60
Above 2000	Max. 0.80	

क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखानुसार नगर पालिका परिषद, खोडा मकनपुर, गाजियाबाद से प्रतिदिन 105.17 मी०टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट जनित होता है तथा नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद दिनांक 10.03.2016 से अस्तित्व मे है। उपरोक्त तालिका के अनुसार अधिकतम 200 मी०टन

........2/–

टी०सी०–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल info@uppcb.com) website www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com) website: www.uppcb.com

4–

प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट जनित होने पर रु0 5000 प्रतिदिन पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जायेगा, जिसके अनुसार नगर पालिका परिषद पर अधिकतम 05 वर्षो हेतु रु0 5000/– प्रतिदिन की दर से अधिकतम 05 वर्षो हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गणना निम्नवत है:–EC = Rate x No. of violation days=5000x5x365=Rs. 91,25,000/-(इकयानवे लाख पच्चीस हजार मात्र)

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 मे नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्ध प्रतिदिन रु0 10,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का आधार प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध मे पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 का मुख्य अंश निम्नवत है:–

".......6. Let a proper reply be filed by respondents 2 and 3 specifically stating as to in what manner, solid/municipal generated on and after 10.03.2016 has been dealt with and give details thereof. UPPCB shall also inform as on what basis quantum of environmental compensation has been proposed at the rate of Rs. Ten Thousand per day and whether final order has been passed or not......."

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.07.2024 मे रु0 10000/– के स्थान पर रु0 5000/– प्रतिदिन की दर से कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु0 91,25,000/-(इकयानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) अधिरोपित किये जाने तथा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.07.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, खोड़ा मकनपुर, गाजियाबाद के विरूद्ध रु0 91,25,000/-(इकयानवे लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से Dedicated payment gateway (URL:https:// erp.eshiksa.net /DirectFeesv3/ UPPCB) के माध्यम से Dedicated payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें–

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति– Waste Management
2. Regional Office/क्षेत्रीय कार्यालय– Ghaziabad
3. EC imposed in compliance/अनुपालन में ई0सी0 लगाया गया UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–निरीक्षण आख्या की प्रति।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

भवदीय,

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1